

आयुक्तालय कॉलेजशिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1(92)पीएस/निकाशि/13/पार्ट/701


दिनांक:- 05/02/2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय (नोडल),
राजस्थान।

विषय:- प्रोफेसर पद पर पदोन्नति हेतु प्राप्त आवेदनों को भिजवाये जाने बाबत।
संदर्भ:- पत्र क्रमांक एफ1(92)पीएस/निकाशि/13/पार्ट/686 दिनांक 29.01.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालयी शाखा) नियम 1986 के तहत नियुक्त संकाय सदस्यों के CAS योजनान्तर्गत प्रोफेसर पद पर पदोन्नति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिनकी नोडल महाविद्यालयों द्वारा जाँच एवं API अंकों की गणना कर आयुक्तालय भिजवाये जाने थे। इस संबंध में लेख है कि आपके महाविद्यालय में प्राप्त समस्त आवेदकों के आवेदनों की जाँच एवं API अंकों की गणना कर IQAC की अनुशंसा के साथ आवेदन की एक प्रति निर्धारित तिथि तक आयुक्तालय भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी बिंदु के संबंध में नोडल महाविद्यालयों के स्तर पर अस्पष्टता है तो बिन्दु को स्पष्ट करते हुए मूल आवेदन पत्र आयुक्तालय को भिजवाये ताकि आयुक्तालय स्तर पर आवेदन का परीक्षण करवा कर निर्णय लिया जा सके।


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(डॉ. आर.सी.मीना)

संयुक्त निदेशक (एचआरडी)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजीसचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. वेबसाइट प्रभारी-कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. आर.सी.मीना)

संयुक्त निदेशक (एचआरडी)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।